राजस्व वाद संख्या 41/2025
GCMS NO. 2025/194
चौथमल बनाम करिश्मा वगै0
आदेश दिनांक 26.11.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 41/2025
GCMS NO. 2025/194

चौथमल पुत्र मंगलपुरी जाति गुसाई निवासी गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।

– प्रार्थी

बनाम

1. करिश्मा पुत्री भानपुरी जाति गुसाई निवासी गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।
2. मधू पुत्री भानपुरी जाति गुसाई निवासी गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।
3. गायत्री पुत्री भानपुरी जाति गुसाई निवासी गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।
4. प्रमेश्वरी पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।
5. सांवरा पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गांगियासर जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ जिला झुझुनूं।

– अनावेदकगण

वकील आवेदक – रजिया बानो
वकील अनावेदकगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26.11.2025

संक्षेप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गांगियासर पटवार हल्का गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुंझुंनू की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 791 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 1121 /791 रकबा 0.93 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.74 हैक्टर भूमि स्थित है, जो कि आवेदक की एकल खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर आवेदक काबिज काश्त है तथा आवेदक की भूमि के सीमा के पास पड़ौस में अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 की भूमि स्थित है आवेदक अपनी खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि में/पर आवारा पशुओं से फसल बचाने एवं अन्य भूमि सुधार कार्य करने हेतु तारबंदी करवाना चाहता है इसलिये आवेदक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगड्डी करवाकर पुख्ता पत्थर डालकर/पिलर रोप कर पुख्ता गुणवता युक्त तारबंदी

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

कर भूमि सुधार कार्य कर उत्तम खेती करना चाह रहा है। आवेदक के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16/05/2025 को तहसीलदार महोदय बिसाऊ के आदेश दिनांक 15/05/2025 के आदेशानुसार की पालना में पटवारी हल्का गांगियासर द्वारा करवाया जा चुका है। जिसकी सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत है तथा आवेदक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांक 16/05/2025 के मुताबिक करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 791, 1121/791 वाके ग्राम गांगियासर की मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2025 के पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी की भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। आवेदक अपनी खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हेा चुकी है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम गांगियासर स्थित भूमि ख0न0 791, 1121/791 कुल किता 2 कुल रकबा 3.74 है0 का मौके पर विवाद नहीं होने की स्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2025 पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर